विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/14

श्री दिनेश कुमार गुप्ता, — **आवेदक**
नगर पालिका मार्केट,
फालका बाजार, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.) – 474001

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक, — **अनावेदकगण**
शहर संभाग (केन्द्रीय),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ग्वालियर (म.प्र.) – 477117

आदेश

(दिनांक 12.02.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक C0122112 श्री दिनेश कुमार गुप्ता विरूद्ध उप महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 14.03.2013 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में एक कामर्शियल कनेक्शन लगा है, जिसका विच्छेदन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अप्रैल 2007 में किया जा चुका था, परन्तु इसके बाद भी उपभोक्ता को निरन्तर बिल भेजा जा रहा है । अप्रैल 2007 में विच्छेदन किए जाते समय बिल की राशि 3827/– रू. थी जो वर्तमान में 24973/– रू. बताई जा रही है, जबकि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है । वर्तमान में उसके परिसर में विद्युत कनेक्शन नहीं है।

3. अनावेदक की ओर से कार्यपालन यंत्री ने दिनांक 13.03.13 को इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया था कि उपभोक्ता ने कनेक्शन को पी.डी.सी. हेतु कार्यालय को आवेदन नहीं दिया था । दिनांक 24.08.12 को उसके परिसर से पुराना मीटर निकालकर नया मीटर लगाया गया था । दिनांक 15.01.13 को विद्युत भार 1 X 100 वॉट बल्ब, सी.एफ.एल. 1 X 20 वॉट पाया गया, परन्तु उपभोक्ता द्वारा मीटर गायब कर

दिया गया । उक्त कनेक्शन में दिसम्बर 2012 तक 25485/– रू. निकल रहा है और बकाया पर उक्त कनेक्शन पोल से कटा है । वर्तमान में उपभोक्ताओं को टैरिफ मिनिमम के अनुसार देयक जारी किया जा रहा है, अतः उपभोक्ता के बिल में संशोधन किया जाना संभव नहीं है ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया कि अनावेदक की ओर से जो बिलिंग डिटेल्स दिए गए उसके अनुसार दिनांक 01.04.05 से 01.03.07 तक 162 पर मीटर रीडिंग स्थिर रही एवं दिनांक 01.04.07 से दिनांक 01.10.12 तक 178 पर मीटर रीडिंग स्थिर रही है जबकि मीटर चालू रहा है । उक्त मीटर रीडिंग खपत के आधार पर बिल दिए जाने चाहिए । उपभोक्ता को दिए गए बिल संदेह के आधार पर दिए गए हैं । अनावेदक द्वारा मीटर चेक नहीं किया गया है न ही नियमित रीडिंग ली गई है । अतः अनावेदक की ओर से उपभोक्ता को 25485/– रू. का जो देयक जारी किया गया है उसे निरस्त किया जाता है । फोरम ने अनावेदक को निर्देशित किया है कि वह दिनांक 01.04.05 से 01.10.12 तक टैरिफ मिनिमम के आधार पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार आवेदक को पुनरीक्षित देयक जारी करें । टैरिफ मिनिमम के आधार पर पुनरीक्षित देयक जारी किया जाए संबंधी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । पुनरीक्षित देयक जारी किए जाने संबंधी फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

5. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मुख्य रूप से इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या दिनांक 01.04.05 से 01.10.12 तक की अवधि के लिए अनावेदक टैरिफ मिनिमम के आधार पर पुनरीक्षित देयक जारी करने के लिए प्राधिकृत है ।

6. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.1 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का वाचन प्रतिमाह या 2 माह में एक बार किया जाना चाहिए । धारा 10.17 में यह प्रावधान किया गया है कि युक्ति–युक्त अवधि जो अधिकतम 3 माह होगी में उपभोक्ता द्वारा भुगतान न किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह उसका कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दें । इस मामले में यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा वर्ष 2005 से अनावेदक को विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया गया है ।

7. अनावेदक की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता ने कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित किए जाने का आवेदन नहीं दिया था, परन्तु अनावेदक की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि उपभोक्ता का कनेक्शन अप्रैल 2007 में विच्छेदित नहीं किया गया था । संभव है अप्रैल 2007 में कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित न किया गया हो, परन्तु यदि अनावेदक की ओर से अप्रैल, 2007 में उपभोक्ता का कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर

दिया गया था और उपभोक्ता के द्वारा ऐसे कनेक्शन को पुनः चालू करने का आवेदन नहीं दिया था तो उसके कनेक्शन को स्थाई रूप से नियमानुसार विच्छेदित किया जाना चाहिए था और स्थाई रूप से कनेक्शन विच्छेदित किए जाने तक उपभोक्ता पर जो भी राशि देय थी उसे वसूल करने के लिए उसको देयक जारी किया जाना चाहिए था, ऐसी स्थिति में 24.08.12 को पुराने मीटर के स्थान पर नया मीटर लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

8. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता ने दिनांक 06.12.11 को शिकायत प्रस्तुत की थी, ऐसी स्थिति में दिनांक 15.01.11 को उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने और उस दिन मीटर गायब होने की जानकारी दिए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

9. फोरम के आदेश की कण्डिका – 4 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 01.03.07 तक मीटर की रीडिंग 162 थी । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन के अनुसार अप्रैल 2007 में कनेक्शन विच्छेदित किए जाते समय उस पर 3827/– रू. का देयक लंबित था । इस देयक की राशि को उपभोक्ता ने जमा किया हो ऐसा उपलब्ध तथ्यों से साबित नहीं होता है । उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि अप्रैल 2007 में उपभोक्ता का कनेक्शन विच्छेदित किया जा चुका था । इसके बाद उसके द्वारा कनेक्शन को चालू करने का कोई आवेदन नहीं किया था और विद्युत का भी कोई उपयोग नहीं किया था । अतः अप्रैल 2007 तक उपभोक्ता पर जो राशि बकाया थी वही राशि उससे वसूल की जा सकती है ।

10. भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 56 (2) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से वसूली योग्य रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के दौरान वसूली योग्य नहीं होती है जब तक कि ऐसी राशि बकाया चार्जेंज के रूप में वसूली योग्य निरन्तर न दर्शाई गई हो । दिनांक 01.04.05 से उपभोक्ता ने विद्युत चार्जेंज के रूप में कोई राशि जमा की थी, इस तथ्य का कोई प्रमाण अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनावेदक की ओर से इस तथ्य का भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि दिनांक 01.04.05 से दिनांक 01.10.12 तक उपभोक्ता से वसूली योग्य राशि को बकाया चार्जेंज के रूप में वसूली योग्य निरन्तर दर्शाई जाता था, ऐसी स्थिति में दिनांक 01.10.12 के दो वर्ष के पहले की राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य होना नहीं पाई जाती है ।

11. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 9.16 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक बन्द/खराब मीटर का ब्यौरा अभिलिखित करना मीटर वाचक की जिम्मेंदारी होगी और इस बात की जानकारी वह तत्काल संबंधित अधिकारी को प्रदान करेगा । इस मामले में यदि दिनांक 01.04.07 से दिनांक 01.10.12 तक मीटर रीडिंग 178 पर स्थित थी तो इससे यही तथ्य साबित होता है कि मीटर बन्द या खराब था,

परन्तु मीटर वाचक ने इस बात का ब्यौरा अभिलिखित किया था अथवा इस तथ्य की सूचना संबंधित अधिकारी को दी थी इस तथ्य का कोई साक्ष्य अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा हो उस अवधि में विद्युत प्रभार की वसूली हेतु पूर्व 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जाना चाहिए । इस मामलें में दिनांक 01.03.07 तक तथा दिनांक 01.10.12 तक मीटर को कार्यरत होना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विद्युत प्रभार की वसूली के लिए पूर्व के 3 मीटर वाचन चक्रों का मासिक औसत आधार ही बिल बनाए जाने के लिए लिया जा सकता है, परन्तु इस मामले में अनावेदक की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे मीटर कार्यरत् न होने की अवधि के पूर्व के 3 मीटर वाचन चक्रों की जानकारी प्राप्त की जा सके ।

13. टैरिफ मिनिमम के आधार पर विद्युत देयक जारी किए जाने का कोई प्रावधान मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में होना नहीं पाया जाता है, इस तरह से विद्युत देयक की वसूली का आदेश दिया जाना विधि के प्रावधानों से असंगत प्रतीत होता है । अतः फोरम के इस आदेश को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है कि अनावेदक दिनांक 01.04.05 से 01.10.12 तक टैरिफ मिनिमम के आधार पर उपभोक्ता को पुनरीक्षित देयक जारी करे ।

14. उपभोक्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अप्रैल 2007 को उस पर 3827/– रू. की राशि बकाया थी, यह राशि अनावेदक उपभोक्ता से वसूल पाने का अधिकारी है । अतः उपभोक्ता को एक माह के अन्दर उक्त राशि जमा करने का देयक जारी किया जाए । निर्धारित अवधि में उपभोक्ता द्वारा राशि जमा न करने पर उसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए अनावेदक स्वतंत्र होंगे ।

15. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल